रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई0एल0आर0 .....

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

[illegible]

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक राजस्व / 2020 /

दिनांक :–

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है / उचित नही है। आवेदक का नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है / की जाती है।

सचिव
ग्राम पंचायत मैनपुरा
पं.स. उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

–: आदेश :–

दिनांक :– 29/10/21

779/21

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण मे निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
2	मैनपुरा		150	नरेश कुमार पुत्र नारायण जाति नाई सा. दह खातेदार	नरेश चायमल पुत्र नारायण जाति नाई सा. दह खातेदार

नोट :–शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :– राजस्व / 2020 / 488 – 489

दिनांक :– 29/10/21

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया .....को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

नरेश पुत्र चायमल नारायण [illegible]
दोनो एक ही व्यक्ति है

सचिव
ग्राम पंचायत मैनपुरा
पं. स. उदयपुरवाटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.05 11:01:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner